[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 44/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 सितंबर, 2018

सा.का.नि._____(अ).-- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ---

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i),** में सा.का.नि. संख्यांक 994 (अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017;

(ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i),** में सा.का.नि. संख्यांक 1414 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 58/2017 – केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017;

(iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i),** में सा.का.नि. संख्यांक 296 (अ), तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 18/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 28 मार्च, 2018; और

(iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i),** में सा.का.नि. संख्यांक 759 (अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 32/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018,

को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक है, जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास के लिए 31 अक्तूबर, 2018 तक और अक्तूबर, 2018 से मार्च, 2019 के लिए, उत्तरवर्ती माह के 11वें दिन तक, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार करता है :

परंतु ऐसे करदाताओं के लिए जिन्होंने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 742 (अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2018 – केंद्रीय कर, तारीख 6 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का 31 दिसंबर, 2018 तक विस्तार किया जाएगा ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा(1), के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार